

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(7)नवि/21

जयपुर, दिनांक:

संशोधित अधिसूचना

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.09.2021 द्वारा क्षितिज वर्ष-2035 तक के लिए खाटूश्यामजी मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु सहायक नगर नियोजक, जयपुर जोन को अधिकृत किया गया था। समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्व ग्राम कैरपुरा को खाटूश्यामजी के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर क्षितिज वर्ष-2035 के स्थान पर 2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन को नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, सीकर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
8. जिला नगर नियोजक, सीकर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, खाटूश्यामजी।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने हेतु एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

RajKaj Ref
8306931

